सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 31 मार्च, 1975

चैत्र 10, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 1193/सत्रह–वि–1–19–75

लखनऊ, 31 मार्च, 1975

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 31 मार्च, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1975

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1975]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 1960 की धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 की उपधारा (1) में,—

(1) खण्ड (क) में, शब्द "उद्योग मन्त्री, उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द "प्रभारी मन्त्री, खादी तथा ग्राम उद्योग, राज्य सरकार" रख दिये जायें;

(2) खण्ड (ख) में, उप-खण्ड (1) में, शब्द "उद्योग उप-मन्त्री, उत्तर प्रदेश, यदि कोई हो", के स्थान पर शब्द "राज्य मन्त्री या जहां कोई राज्य मन्त्री न हो तो उप-मन्त्री, यदि कोई हो, खादी तथा ग्राम उद्योग, राज्य सरकार" रख दिये जायें।

धारा 6 के स्थान पर नई धारा 6, 6-क तथा 6-ख का रखा जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायें, अर्थात्:—

सदस्य होने के लिए अनर्हता

"6—कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य चुने जाने या होने के लिए अनर्हित होगा, यदि वह—

(क) ऐसे अपराध के लिए सिद्ध-दोष हुआ हो जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता समन्वित हो; या

(ख) अननुमोचित दिवालिया हो; या

(ग) विकृत चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो ; या

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) में की गई व्यवस्था को छोड़कर, बोर्ड के अधीन किसी लाभप्रद पद पर हो ; या

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा बोर्ड के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो ; या

(च) किसी ऐसी कम्पनी या सहकारी या अन्य समिति का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो जो बोर्ड के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित रखती हो ।

स्पष्टीकरण—किसी व्यक्ति के बारे में केवल इस कारण से कि वह किसी ऐसी कम्पनी या सहकारी या अन्य समिति में अंशधारी है जिसका कि ऐसा अंश या हित है, यह नहीं समझा जायगा कि उसका बोर्ड के साथ, उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित है ।

गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि

6-क—(1) बोर्ड का कोई गैर-सरकारी सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा जब तक कि राज्य सरकार उसकी पदावधि गजट में विज्ञप्ति द्वारा पहले ही समाप्त न कर दे :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे सदस्य की पदावधि में कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक अवधि तक की वृद्धि कर सकती है ।

(2) उप-सभापति की पदावधि उपधारा (1) के अधीन गैर-सरकारी सदस्य के रूप में उसकी पदावधि के साथ समाप्त होगी ।

(3) उप-सभापति या कोई गैर-सरकारी सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जायगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

(4) उप सभापति या किसी गैर-सरकारी सदस्य के पद में आकस्मिक रिक्ति राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति करके भरी जायगी, और इस प्रकार नियुक्त उप-सभापति या अन्य सदस्य उप-सभापति या सदस्य की, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया जाय, शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा ।

कतिपय दशाओं में प्रशासक की नियुक्ति

6-ख—जहां सभी गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि या बढ़ाई गई पदावधि समाप्त हो जाय या पहले ही समाप्त कर दी जाय और उनके स्थान पर नये गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त न किये जायं तो नये गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति होने तक—

(क) बोर्ड, उसके सभापति, उप-सभापति तथा समितियों के सभी कृत्य तथा कर्त्तव्य राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त अधिकारी में (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे और उनका निर्वहन तथा पालन, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन रहते हुए उसके द्वारा किया जायगा, और प्रशासक को विधि की दृष्टि से बोर्ड, सभापति, उप-सभापति या समिति, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायगा ;

(ख) प्रशासक का वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, जो उस निमित्त राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत किये जायं, बोर्ड की निधि से दिये जायेंगे ;

(ग) राज्य सरकार प्रशासक को सलाह देने के लिए अथवा बोर्ड के ऐसे कृत्यों का निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए, जिसे वह उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, कोई समिति या अन्य निकाय गठित कर सकती है ।"

धारा 12 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(2) ऐसे सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अनुसार जो राज्य सरकार समय-समय पर तदर्थ जारी करे, बोर्ड से उप-सभापति को पारिश्रमिक दिया जायेगा और अन्य गैर-सरकारी सदस्य यात्रा तथा दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे।"

धारा 26 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 26 में—

(क) पार्श्व शीर्षक, तथा उपधारा (1) में, जहां कहीं भी शब्द "संचित निधि" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "निधि" रख दिया जाय;

(ख) उपधारा (2) तथा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात्:—

"(2) बोर्ड की निधि की समस्त धनराशि किसी अनुसूचित बैंक में, दो पृथक् लेखों के अधीन, जो क्रमशः 'खादी लेखा' तथा 'ग्राम उद्योग लेखा' कहलायेंगी, ऐसी रीति से जमा की जायगी जो बोर्ड आदेश द्वारा निर्देशित करे।

(3) बोर्ड अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए भी, जब आवश्यक हो, इसी प्रकार का लेखा खोल सकता है।

(4) बोर्ड के लेखों का संचालन उप-सभापति द्वारा या सचिव द्वारा अथवा बोर्ड के ऐसे किसी अन्य अधिकारी द्वारा जिसे बोर्ड संकल्प द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करे, किया जायगा।"

धारा 31 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (4) में, शब्द 'तदर्थ बनाये गये विनियमों के अनुसार' के स्थान पर शब्द 'ऐसे सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अनुसार जो राज्य सरकार समय-समय पर तदर्थ जारी करे,' रख दिये जायें।

धारा 31-क का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 31-क में, शब्द 'उप-सभापति, या सचिव' के स्थान पर शब्द 'उप-सभापति, सचिव या किसी अन्य अधिकारी' रख दिये जायें।

धारा 32 का प्रतिस्थापन

8—मूल अधिनियम की धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"32—(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असफल रहा है अथवा किसी अन्य कारण से बोर्ड को बनाये रखना आवश्यक नहीं है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा बोर्ड को ऐसे दिनांक से विघटित कर सकती है जिसे विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाय।

बोर्ड का विघटन

(2) बोर्ड को विघटित करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर,—

(क) बोर्ड के सभापति, उप-सभापति और सभी सदस्य, विघटन के दिनांक से अपना पद रिक्त कर देंगे;

(ख) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन समस्त अधिकार और कृत्य जिनका प्रयोग तथा निर्वहन बोर्ड द्वारा अथवा उसकी ओर से किया जा सकता हो, विघटन के दिनांक से, राज्य सरकार द्वारा या ऐसे एकल व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा जिसे वह तदर्थ निर्दिष्ट करे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन रहते हुए प्रयुक्त तथा निर्वाहित किये जायेंगे, और ऐसी समस्त विद्यमान संविदायें, करार तथा अन्य लिखतें जिसमें बोर्ड पक्षकार हो अथवा जो बोर्ड के पक्ष में हों, राज्य सरकार द्वारा या, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध प्रवृत्त किए जा सकते हैं अथवा उन पर कार्यवाही की जा सकती है, और बोर्ड द्वारा अथवा उसके विरुद्ध विचाराधीन समस्त वाद, अपीलें तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां, राज्य सरकार द्वारा या, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती हैं, अभियोजित की जा सकती हैं अथवा प्रवृत्त की जा सकती हैं;

(ग) बोर्ड की निधि तथा उसमें निहित अन्य सम्पत्तियां राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी; और

(घ) समस्त दायित्व, जो वैध रूप में विद्यमान हों, तथा बोर्ड के विरुद्ध प्रवर्तनीय हों, राज्य सरकार के विरुद्ध उस सीमा तक प्रवर्तनीय होंगे जिस सीमा तक बोर्ड की निधि और सम्पत्तियां उसमें निहित हों।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय, धारा 4 के अधीन पुनः बोर्ड की स्थापना कर सकती है, और तदुपरान्त—

(क) अधिकार और कृत्य तथा उपधारा (2) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट संविदाओं, करारों और अन्य लिखतों और वादों, अपीलों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अधिकार और दायित्व भी, बोर्ड में पुनर्निहित हो जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के खण्ड (ग) में अभिविष्ट निधि तथा अन्य सम्पत्तियां जो राज्य सरकार के पास खण्ड (घ) में अभिविष्ट दायित्वों को पूरा करने के पश्चात् शेष रह जायें, बोर्ड में पुर्ननिहित हो जायेंगी।"

धारा 33 का निकाला जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 33 निकाल दी जाय।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

10—इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पद धारण करने वाले बोर्ड के ऐसे गैर-सरकारी सदस्य जिन्होंने दो वर्ष से अधिक के लिए पद धारण कर लिया हो (जो अवधि इस अधिनियम द्वारा यथाप्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 6-क में विनिर्दिष्ट है) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तुरन्त पश्चात् उस रूप में पदधारी न रह जायेंगे, और मूल अधिनियम की धारा 6-ख के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

निरसन तथा अपवाद

11—(1) उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उत्तर प्र... अध्यादे... संख्या, ... 1975

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा।

No. 1193(2) XVII-V-1—19-75

Dat?d Luckn?w, March 31, 1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Khadi tatha Gram Udyog Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 31, 1975 :

THE UTTAR PRADESH KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD (AMENDMENT) ACT, 1975

(Uttar Pradesh Act No. 14 of 1975)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1960.

It is hereby enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board (Amendment) Act, 1975.

Amendment of section 5 of U. P. Act no. X of 1960.

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1960 (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1),—

(i) in clause *(a)*, *for* the words "Minister for Industries, Uttar Pradesh", the words "Minister Incharge of Khadi and Village Industries, in the State Government", shall be *substituted*;

(ii) in clause *(b)*, in sub-clause (i), *for* the words "The Deputy Minister for Industries, Uttar Pradesh, if any," the words "The Minister of State, or where there is no Minister of State, Deputy Minister, if any, for Khadi and Village Industries in the State Government," shall be *substituted*.

Substitution of section 6 by new sections 6, 6-A and 6-B.

3. *For* section 6 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—

Disqualification for being member.

"6. A person shall be disqualified for being chosen as or for being a member of the Board if he—

(a) has been convicted of an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude; or

(b) is an undischarged insolvent ; or

(c) is of unsound mind and has been so declared by a competent court ; or

(*d*) holds, except as provided in sub-section (2) of section 12, any office of profit under the Board ; or

(*e*) has directly, or indirectly, by himself or by any partner, employer or employee, any share or interest, whether pecuniary or of any other nature, in any contract or employment with, by or on behalf of the Board ; or

(*f*) is a Director or a Secretary, Manager, or other officer of any company or co-operative or other society which has any share or interest in any contract or employment with, by, or on behalf of the Board.

Explanation—A person shall not be deemed to have any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Board by reason only of his being a share-holder of a company or co-operative or other society which has such share or interest.

Term of office of non-official members.

6-A. (1) A non-official member of the Board shall hold office for a period of two years unless his term is determined earlier by the State Government by notification in the *Gazette* :

Provided that the State Government may, from time to time, by notification in the *Gazette,* extend the term of office of such member by a period not exceeding one year in the aggregate.

(2) The term of the office of the Vice-Chairman shall be co-terminus with the term of his office as a non-official member under sub-section (1).

(3) The Vice-Chairman or non-official member may at any time, by writing under his hand, addressed to the State Government, resign his office, and on such resignation being accepted, he shall be deemed to have vacated his office.

(4) A casual vacancy in the office of Vice-Chairman or a non-official member shall be filled by fresh appointment by the State Government, and the Vice-Chairman or other member so appointed shall hold office for the remainder of the term of the Vice-Chairman or member in whose place he is appointed.

Appointment of Administrator in certain cases.

6-B. Where the term of office or the extended term of office of all non-official members expires or is determined earlier, and no new non-official members are appointed in their place, then until the appointment of new non-official members—

(*a*) all functions and duties of the Board, its Chairman, Vice-Chairman and committees shall be vested in and be performed and discharged, subject to the control of State Government, by an officer appointed in that behalf by the State Government (hereinafter referred to as the Administrator), and the Administrator shall be deemed in law to be the Board, the Chairman, the Vice-Chairman or the committee, as the occasion may require ;

(*b*) such salary and allowances, if any, of the Administrator as the State Government may, by general or special order in that behalf, fix shall be paid out of the fund of the Board ;

(*c*) the State Government may constitute a committee or other body to advise the Administrator or to perform such of the functions and duties of the Board as it may specify in that behalf."

Amendment of section 12.

4. In section 12 of the principal Act, *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(2) The Vice-Chairman shall be paid remuneration, and other non-official members shall be entitled to travelling and daily allowance, from the Board in accordance with such general or special orders as the State Government may, from time to time, issue in that behalf."

Amendment of section 26.

5. In section 26 of the principal Act—

(*a*) in the marginal heading, and in sub-section (1), *for* the words "Consolidated Fund" wherever they occur, the word "Fund" shall be *substituted* ;

(*b*) *for* sub-sections (2) and (3), the following sub-sections shall be *substituted*, namely :—

"(2) All moneys belonging to the Fund of the Board shall be deposited in any Scheduled Bank under two separate accounts to be called respectively the 'Khadi Account' and the 'Village Industries Account' in such manner as the Board may by order direct.

(3) The Board may also open similar accounts as and when necessary in respect of its different schemes.

(4) The accounts of the Board shall be operated by the Vice-Chairman or by the Secretary or such other officer of the Board as may be authorised in that behalf by a resolution of the Board."

Amendment of section 31.

6. In section 31 of the principal Act, in sub-section (4), *for* the words "in Regulations made in this behalf" the words "such general or special orders as the State Government may from time to time issue in that behalf" shall be *substituted*.

Amendment of section 31-A.

7. In section 31-A of the principal Act, *for* the words "Vice-Chairman or the Secretary", the words "Vice-Chairman, Secretary or any other officer" shall be *substituted*.

Substitution of section 32.

8. *For* section 32 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"32. (1) If the State Government is of opinion that Board has failed to carry out the functions under this Act, or that for any other reason it is not necessary to continue the Board, it may, by notification in the *Gazette*, dissolve the Board from such date as may be specified in the notification.

Dissolution of the Board.

(2) Upon the publication of a notification under sub-section (1) dissolving the Board—

(*a*) the Chairman, the Vice-Chairman and all members of the Board shall, as from the date of dissolution, vacate their offices ;

(*b*) all the powers and functions which may by or under this Act be exercised and performed by or on behalf of the Board shall, as from the date of dissolution, be exercised and performed, subject to the control of the State Government by such single person or institution as it may specify in that behalf and all subsisting contracts, agreements and other instruments to which the Board is a party or which are in favour of the Board may be enforced or acted upon, and all pending suits, appeals and other legal proceedings by or against the Board may be continued, prosecuted or enforced, by or against the State Government or such person or institution, as the case may be ;

(*c*) the Fund of and other properties vested in the Board shall vest in the State Government ; and

(*d*) all liabilities, legally subsisting and enforceable against the Board, shall be enforceable against the State Government ~~to the extent of the fund and properties of the Board vested in it.~~

omitted by W.P. Act 39 of 1976.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2), the State Government may, at any time, again establish a Board under section 4, thereupon—

(*a*) the powers and functions as well as the rights and liabilities in relation to contracts, agreements and other instruments, and suits, appeals and other legal proceedings referred to in clause (*b*) of sub-section (2) shall re-vest in the Board ;

(*b*) the fund and other properties referred to in clause (*c*) of sub-section (2) remaining with the State Government after meeting any liabilities referred to in clause (*d*) thereof shall re-vest in Board."

9. Section 33 of the principal Act shall be *omitted*. Omission of section 33.

10. The non-official members of the Board holding office immediately before the commencement of this Act having already held office for more than two years (which is the period specified in section 6-A of the principal Act as substituted by this Act) shall immediately on the commencement of this Act cease to hold office as such, and the provisions of section 6-B of the principal Act shall apply accordingly. Transitory provision.

U. P. Ordinance no. 4 of 1975.

11. (1) The Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board (Amendment) Ordinance, 1975, is hereby repealed. Repeal and Savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 1 सा०(विधा०)——1975— 675 (मे०) ।